MPS-102

राजनीति विज्ञान

स्नातकोत्तर कार्यक्रम (MAPS)

सत्रीय कार्य

(प्रथम वर्ष)

जुलाई 2026 एवं जनवरी 2027 सत्र

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ (School of Social Sciences)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068

एम.ए. (राजनीति विज्ञान)
अनिवार्य पाठ्यक्रम

प्रिय शिक्षार्थी,

जैसा कि कार्यक्रम दर्शिका (Programme Guide) में स्पष्ट किया गया है, आपको राजनीति विज्ञान के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक ट्यूटर द्वारा मूल्यांकित सत्रीय कार्य (TMA) करना होगा। इस पुस्तिका में राजनीति विज्ञान में मास्टर्स कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्य शामिल हैं। सत्रांत परीक्षा (Term-end examination) में बैठने के पात्र होने के लिए आपको सभी सत्रीय कार्य निर्धारित समय के भीतर जमा करने होंगे। सत्रीय कार्यों को हल करने से पहले, कृपया कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

यह महत्वपूर्ण है कि आप उत्तर अपने शब्दों में लिखें। आपके उत्तर किसी विशेष खंड के लिए निर्धारित शब्द-सीमा की अनुमानित सीमा के भीतर होने चाहिए। याद रखें, सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा के लिए भली-भांति तैयार होंगे।

इन सत्रीय कार्यों सहित आपके सभी असाइनमेंट आपके अध्ययन केंद्र (Study Centre) के समन्वयक (Coordinator) के पास जमा किए जाने चाहिए। जमा किए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद प्राप्त करना और उसे सुरक्षित रखना याद रखें। यदि संभव हो, तो सत्रीय कार्यों की एक फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें। मूल्यांकन के बाद अध्ययन केंद्र को सत्रीय कार्य आपको वापस करने होंगे। कृपया इसके लिए आग्रह करें। अध्ययन केंद्र प्रत्येक सत्रीय कार्य के लिए दिए गए अंकों को नोट करेगा और उन्हें इग्नू, नई दिल्ली के विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग (Student Evaluation Division - SED) को अग्रेषित करेगा।

जमा करने की प्रक्रिया (Submission): पूर्ण किए गए सत्रीय कार्य निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार जमा किए जाने चाहिए।

सत्र	जमा करने की अंतिम तिथि	किसे जमा करें?
जुलाई 2026 सत्र के लिए	मार्च 31, 2027	आपको आवंटित अध्ययन केंद्र के समन्वयक को
जनवरी 2027 सत्र के लिए	सितंबर 30, 2027	

आपको शुभकामनाओं सहित,

राजनीति विज्ञान संकाय

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था: संवैधानिक ढाँचा और संस्थाएँ (MPS-102)
शिक्षक-मूल्यांकित सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम कोड: MPS-102
असाइनमेंट कोड: ASST/TMA/2026-27
पूर्णांक: 100

नोट: किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खंड से कम-से -कम दो प्रश्नों का चयन करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

खंड – I

1. संविधान सभा में भारतीय राज्यव्यवस्था की संरचना और उद्देश्यों को लेकर हुए वैचारिक विमर्शों की समालोचना कीजिए। इन विमर्शों ने संविधान की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को किस प्रकार आकार दिया?
2. मूल संरचना सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन शक्ति के सापेक्ष, यह संविधान की मूल पहचान के संरक्षण को कैसे सुनिश्चित करता है?
3. भारत में विधायिका और कार्यपालिका के बदलते संबंधों का विश्लेषण कीजिए। दलगत बहुमत, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री का बढ़ता महत्व संसदीय जवाबदेही को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
4. भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
5. निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
   (क) सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण के साधन के रूप में संविधान
   (ख) संसदीय समितियाँ और विधायी जवाबदेही

खंड – II

6. भारतीय संघवाद की विशिष्ट और असममित विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। विधायी, प्रशासनिकऔर वित्तीय शक्ति यों का विभाजन केंद्र–राज्य संबंधों को किस प्रकार आकार देता है?
7. भारत में केंद्र–राज्य तनावों के प्रबंधन हेतु संवैधानिक और राजनीतिक तंत्रों का आलोचनात्मक आकलन कीजिए। आपातकालीन प्रावधानों, एस. आर. बोम्मई निर्णय और केंद्र–राज्य संबंधों में सुधारों के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए।
8. 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मूल्यांकन कीजिए। स्थानीय सरकारों को कार्यों, निधियों और कार्मिकों का प्रभावी हस्तांतरण अभी भी असमान क्यों है?
9. निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का लोकतांत्रिक तथा वित्तीय जवाबदेही की संस्थाओं के रूप में मूल्यांकन कीजिए। उनकी स्वायत्तता और प्रभावशीलता को कौन-सी चुनौतियाँ प्रभावित करती हैं?
10. निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:
    (क) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग: योग्यता, निष्पक्षता और जवाबदेही
    (ख) गैर-संवैधानिक निकाय और लोकतांत्रिक शासन